दिनांक 28 मई 2018 को अपराह्न 2:30 बजे बराद सदन के बैठक कक्षा में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 28 मई 2018 को अपराह्न 2:30 बजे बराद सदन के बैठक कक्ष में महाविद्यालय विकास परिषद की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	श्री देवाशीष पाल वित्त अधिकारी	-	सदस्य
3.	डॉ. देवाशीष चौधुरी परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
4.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
5.	प्रो. वी.रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
6.	डॉ. एस. मनिवन्नन छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
7.	श्री डी.के. प्रधान, निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव एचई और तकनीकी शिक्षा, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार	-	सदस्य
8.	डॉ. प्रेमलता महापात्र, प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय, गंगटोक	-	सदस्य
9.	डॉ. परशुराम पौड्याल, प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय	-	सदस्य
10.	श्रीमती केसांग वांगमो भूटिया प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग	-	सदस्य
11.	डॉ. सत्यदीप छेत्री, सह प्राध्यापक, रासायनिकी विभाग सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
12.	श्री टी.के.कौल कुलसचिव	-	सचिव

प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें। संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद को सहायता करने के लिए बैठक में उपस्थित थे।

सभापति ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया, विशेष रूप से नामची सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. परशुराम पौड्याल जी का, जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड – 1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी9.1.1: दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8 वीं बैठक के कार्यवृत्त 24 नवंबर 2017 को सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 24 नवंबर 2017 वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गयी है।

सीडीसी9.1.2: दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 8 नवंबर 2017 को आयोजित परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्रवाई रिपोर्ट नोट की गयी।

मद सं. 8.4.2 *(शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एसआईएसटी को अस्थायी संबद्धता)* के लिए यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार विश्वविद्यालय को निरीक्षण समिति की शर्तों की पूर्ति पर एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे। विश्वविद्यालय उसी समिति द्वारा अनुवर्ती यात्रा भेजेगा। विश्वविद्यालय इसके बाद निरीक्षण के लिए उसी समिति को भेजेगा।

खंड – 2

सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड – 3

अनुसमर्थन के लिए विषय

सीडीसी9.3.1 फार्मेसी महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए निरीक्षण टीम के लिए प्रारूप VII

विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी), सिक्किम सरकार से बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा), बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक) आदि में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नए व्यावसायिक महाविद्यालयों को शुरू करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इन व्यावसायिक महाविद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं की आवश्यकताओं को पीसीआई, आईएनसी, एआईसीटीई जैसे नियामक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और ये अन्य सामान्य महाविद्यालयों से अलग है। फार्मेसी कॉलेज के निरीक्षण के लिए पीसीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रोफार्मा (यानी प्रोफार्मा VIII) तैयार किया गया है और प्रस्तावित फार्मेसी कॉलेज का निरीक्षण करने वाली निरीक्षण टीम द्वारा उपयोग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

महाविद्यालय विकास परिषद ने फार्मेसी कॉलेज के निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा VIII का उपयोग करते हुए कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की। परिषद आगे बी.टेक और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रोफार्मा जमा करना चाहती है।

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

सीडीसी9.4.1: शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए हारकामया शिक्षा महाविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम के नवीकरण पर निरीक्षण रिपोर्ट

शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए पीएचडी कार्यक्रम के अस्थायी संबद्धता के नवीनीकरण के लिए हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय ने दिनांक 9 मार्च 2018 को आवेदन किया था। 2012 में संशोधित यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 के तहत और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय ने एक निरीक्षण दल का गठन किया, जिसने 16 मार्च 2018 को हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय का निरीक्षण किया । समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता को नवीनीकृत करने की सिफ़ारिश नहीं की थी क्योंकि डॉक्टरेट डिग्रीधारी शिक्षक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं और फिलहाल पीएचडी थीसिस के पर्यवेक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।

हर्कामाया शिक्षा महविद्यालय के प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि जून 2018 से एक नया प्रोफेसर शामिल हो रहे हैं और हर्कामाया शिक्षा महविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम के नवीकरण पर फिर से विचार करने का निवेदन किया है। परिषद ने प्राचार्य की टिप्पणियों की सराहना की और कहा कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय दोनों के लिए नियम समान हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि यह पाठ्यक्रम की असंबद्धता नहीं है और महाविद्यालय अगली बार आवेदन कर सकता है।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को पीएचडी कार्यक्रम की संबद्धता को नवीनीकृत नहीं करने के लिए निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

सीडीसी9.4.2: सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम की अस्थायी संबद्धता

स्वास्थ्य सेवा, मानव सेवा और परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार ने सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय की अस्थायी संबद्धता के लिए आवेदन किया था। कुलपति ने यूजीसी विनियम 2009 की धारा 4.6 तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के खंड 11 के तहत एक निरीक्षण समिति का गठन किया। निरीक्षण समिति ने 9 मार्च 2018 को महाविद्यलय का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षण दल ने नोट किया कि महविद्यालय में भवन संरचना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। सरकार

ने नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार शिक्षकों और ट्यूटर्स/नैदानिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है। प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों और फर्नीचर की खरीद आदि संतोषजनक नहीं है। भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) और सिक्किम स्टेट नर्सिंग काउंसिल (एसएसएनसी) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र 'भी प्राप्त नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम शुरू करने से कम से कम एक महीने पहले उसी समिति द्वारा अनुवर्ती निरीक्षण भेजने और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) की अनुमति प्राप्त करने के बाद, पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए की गई प्रगति और तैयारियों का आकलन करने के लिए सिफारिश की।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

सीडीसी9.4.3: सरकारी फार्मेसी महाविद्यालय, साजोंग, रूमटेक, ईस्ट सिक्किम की अस्थायी संबद्धता

स्वास्थ्य सेवा, मानव सेवा और परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार ने सरकारी फार्मेसी कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा) पाठ्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय की अस्थायी संबद्धता के लिए आवेदन किया था। कुलपति ने यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के खंड 11 के तहत एक निरीक्षण समिति का गठन किया। निरीक्षण समिति ने 23 फरवरी 2018 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षण दल ने उल्लेख किया कि महाविद्यालय पर्याप्त भौतिक अवसंरचना है। हालांकि, शिक्षण और प्रशासनिक जनशक्ति की नियुक्ति और प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों और फर्नीचर की खरीद अभी भी जारी है। इसलिए, पाठ्यक्रम शुरू होने से कम से कम एक महीने पहले उसी समिति द्वारा अनुवर्ती निरीक्षण भेजने और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करने के बाद पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए की गई प्रगति और तैयारियों का आकलन करने की सिफारिश की गई।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

सीडीसी9.4.4: शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए डंबर सिंह महाविद्यालय, सामदूर, तादोंग की अस्थायी संबद्धता

डम्बर सिंह महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीनीकरण के लिए संबद्धता के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन किया। तदनुसार, यूजीसी विनियम, 2009 की धारा 4.6 तथा विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के खंड 11 के तहत एक निरीक्षण समिति का गठन किया। निरीक्षण दल ने 27 मार्च 2018 को महाविद्यालय का दौरा किया। निरीक्षण दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष 2019-20 के लिए डंबर सिंह महाविद्यालय को अस्थायी रूप से नामांकन देने की सिफारिश की है, बशर्ते कि महाविद्यालय ने महाविद्यालय की संबद्धता से संबंधित मानदंडो शैक्षणिक कैलेंडर, शिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकन विधियों और विश्वविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सख्ती से पालन किया हो।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

सीडीसी9.4.5: आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम संरचना

दिनांक 4 अक्टूबर 2017 के यूजीसी के पत्र में उच्च शिक्षा के सभी छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया गया था। यह मामला 8 नवंबर 2017 को आयोजित परिषद की 8 वीं बैठक में रखा गया था, जिसमें स्नातक पाठ्यक्रम में ईएचएस/एचआर/पीए/जीएस/आईपीआर आदि जैसे अन्य अनिवार्य पेपरों के साथ अनिवार्य पेपरों में से एक के रूप में आपदा प्रबंधन पर एक पूर्ण पेपर शामिल करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। परिषद की 8वीं बैठक की सिफारिशों को शैक्षणिक परिषद द्वारा 14 नवंबर 2017 को आयोजित 22 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम सामग्री की तैयारी के लिए दिनांक 22 जनवरी 2018 को कार्यालय आदेश सं 20/2018 द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार एक पांच सदस्यीय पाठ्यचर्या विकास समिति का गठन किया गया था।

विचार-विमर्श के बाद शैक्षणिक परिषद को स्नातक पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।

खंड – 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव, सचिव

हस्ता/-
(जे.पी.तामांग)
कुलपति एवं अध्यक्ष